

# SHIKSHA SAMVAD

International Open Access Peer-Reviewed & Refereed  
Journal of Multidisciplinary Research

ISSN: 2584-0983 (Online)

Volume-1, Issue-4, June- 2024

www.shikshasamvad.com



## “हिन्दी के विकास में शिक्षक की भूमिका”

**महिमा**

शोधार्थिनी  
ग्लोकल विश्वविद्यालय,  
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**डॉ० सोनिया यादव**

शोध पर्यवेक्षिका  
ग्लोकल विश्वविद्यालय,  
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### सारांश

हिन्दी भाषा का विकास –

हिन्दी, वैदिक, संस्कृति से संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश रूपों को पार करती हुई आज की हिन्दी के रूप में आई है। परन्तु हिन्दी अपभ्रंश की अवस्था से प्राचीन हिन्दू अवस्था को कब पहुंची। इस विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं। इसका कुछ कुछ श्रीगणेश बौद्ध धर्म की ब्रजयानी शाखा के चौरासी सिद्धों के सिद्ध साहित्य से मानते हैं। वैसे तो इन सिद्धों ने अपने ग्रन्थों की रचना प्राकृत भाषा में की है पर फिर भी उनमें कहीं-कहीं आज की हिन्दी के अंकुर दिखाई देते हैं। इनमें से पुराने सिद्ध सहपा (सरोज ब्रज) ईसा की सातवीं शताब्दी में हुए थे। इनकी रचनाओं से एक उदाहरण प्रस्तुत है।

जहि मन पवन न संचरई, रवि सीस नाहिं उवेस।

तहि बट चित्रविसाम करू, सरेहे कहिअ उवेस।।

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ हिन्दी के महत्व को सभी ने स्वीकार किया और 14 सितम्बर 1949 को भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। उस समय यह कल्पना की गई थी कि 1965 तक यह राजकाज की भाषा होगी और सम्पूर्ण भारत के विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाने लगेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई परन्तु कुछ कारणों से हमारी, यह कल्पना अभी तक साकार नहीं हो पाई है। इससे हमें बड़ी

निराशा हुई है। हम भारत की जनता और सरकार दोनों से निवेदन करते हैं कि वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के महत्व को समझें और उनके विकास एवं प्रचार में सहायक हों।

### हिन्दी के विकास में शिक्षक की दशा –

आज हिन्दी शिक्षकों की जो दशा है, उससे हम सभी परिचित हैं। समूचे देश के नैतिक पतन के साथ-साथ अध्यापकों का भी पतन हुआ है। उनकी आर्थिक और सामाजिक चिन्ताओं ने उनकी आर्थिक और सामाजिक चिन्ताओं ने उनकी प्रसन्नता छीन ली है। जीवन का उनमें अभाव है। इस निराश व्यक्तियों से सफल शिक्षण की आशा करना व्यर्थ है। आज हिन्दी अध्यापकों का तो जितना अधिक महत्व और उत्तरदायित्व है उतनी ही अधिक उनकी दशा हीन और शोचनीय है। आज के हिन्दी अध्यापक स्वयं हिन्दी नहीं जानते। हिन्दी के व्याकरण से तो वे बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। अध्ययनशीलता तो उनमें है ही नहीं। इस सबके लिए बेचारों को अवकाश भी नहीं मिलता। उदर पूर्ति के लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य करने पड़ते हैं। घर-घर बच्चे पढ़ाने जाना पड़ता है अनेक समस्यायें हैं उनकी अपनी।

### हिन्दी शिक्षण से सम्बन्धित समस्याएँ :

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। अपने देश भारत की तो यह राष्ट्रभाषा है इसलिए इसे अहिन्दी क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। परन्तु बड़े खेद का विषय है कि हमारे देश के समस्त अहिन्दी क्षेत्रों में यह अभी तक अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जाती और जहां पढ़ाई जाती है वहां भी उसके पढ़ने का स्तर व अवधि निश्चित नहीं है। भारत में द्वितीय एवं राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण की मुख्य समस्याएँ हैं –

1. शिक्षार्थियों संबंधी समस्याएँ रूचि का अभाव – भारत के अहिन्दी क्षेत्रों के व्यक्तियों में राष्ट्रभाषा सीखने के प्रति उतनी रूचि नहीं है जितनी होनी चाहिए कुछ अहिन्दी व्यक्ति तो हिन्दी को सीखना अपनी ज्ञान के खिलाफ समझते हैं। इस रूचि के अभाव के मुख्य कारण हैं –

(अ) भाषायी संकीर्णता : हमारे देश में भाषा के अनुसार पर प्रान्तों की निर्माता नेहरू सरकार की तीन बड़ी भूलों में से एक है। प्रान्तीयता और संकीर्णता इसी का दुष्परिणाम है।

(ब) संकीर्ण राजनीति : कुछ अहिन्दी लोग अपने राजनैतिक लाभ के लिए अपने क्षेत्र की मातृभाषा को आने लाने की बात करते हैं और हिन्दी सीखने को हिन्दी की मजबूरी कहते हैं। हिन्दी भाषा भाषी इस विचार का खुलकर विरोध नहीं करते क्योंकि वे भी वोट बटोरने की राजनीति करते हैं।

(स) **हिन्दी की अवहेलना** : हिन्दी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित तो कर दिया गया है पर उसे उस रूप में प्रयोग आज भी नहीं किया जाता। हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व है।

**यथा समस्याओं का समाधान** : इन सब समस्याओं का केवल एक समाधान है और वह यह कि राष्ट्रहित के आगे व्यक्ति अथवा क्षेत्र हित का बलिदान। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह अपनी भाषा संबंधी नीति में स्पष्ट एवं दृष्ट संकल्प हो और पूरे देश में राष्ट्रभाषा हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य करें। लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं को देश की मान्यता प्राप्त भाषाओं में लिया जाए जिससे लोगों का भाषा ज्ञान के आधार पर काम्पीटीशन में आने का भय समाप्त हो पर हिन्दी भाषा की सामान्य योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो। उस स्थिति में अहिन्दी क्षेत्रों के व्यक्तियों में हिन्दी के प्रति रुचि जाग्रत होगी।

### द्वितीय भाषा हिन्दी की प्रकृति संबंधी समस्याएँ –

1. **हिन्दी की ध्वनियों एवं शब्द निर्माण की जटिलता** : हिन्दी भाषा में मूलध्वनियों की संख्या बहुत अधिक है और कुछ ध्वनियों में इतनी समानता है कि उनके उच्चारण और लेखन में हिन्दी भाषा भाषी भी अशुद्धियाँ करते हैं। हिन्दी में शब्दों का निर्माण भी अनेक प्रकार से होता है, उनका समझना भी एक कठिन कार्य है।

2. **वाक्य रचना का लचीलापन** : हिन्दी में वाक्य रचना के नियम कुछ अधिक लचीले हैं, विराम चिन्हों के प्रयोग में भी बड़ी अनिश्चितता है। इस सबको सीखने में बड़ी कठिनता है।

3. **हिन्दी की देवनागरी लिपि की जटिलता** : यूं देवनागरी लिपि बड़ी वैज्ञानिक है इसमें किसी भी भाषा के शब्दों को सरलता से लिखा जा सकता है, परन्तु इसमें बारीकियाँ भी उतनी ही अधिक हैं। मात्राओं के प्रयोग के चार रूप, उ तथा ऊ की मात्राओं को लगाने के विभिन्न रूप, शिरोरेखा खींचना आदि कुछ ऐसी जटिलताएँ हैं जिन्हें अहिन्दी व्यक्ति सीखने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं।

**यथा समस्याओं का समाधान** भाषा सीखने का सबसे उपयुक्त आयु काल 3 से 9 वर्ष का है। इस समय बच्चे जटिल है जटिल भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। अतः राष्ट्रभाषा हिन्दी की शिक्षा प्रारंभिक स्तर की प्रथम कक्षा से ही शुरू कर देनी चाहिए। इसके साथ-साथ संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के स्थान पर सामान्य बोल चाल की हिन्दी का प्रयोग किया जाए।

### द्वितीय भाषा की प्रथम भाषा से पृथकता संबंधी समस्याएँ –

1. **हिन्दी की अतिरिक्त ध्वनियों –**

हिन्दी की कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं हैं। जैसे – कश्मीरी में **घ** ध्वनि नहीं है। इसलिए वे **घोड़ा** का प्रायः **गोड़ा** बोलते हैं, आसामी में **स** ध्वनि नहीं है इसलिए वे **सच** को **चच** बोलते हैं, मिजोरम में **ड** ध्वनि नहीं है इसलिए वे **लड़का** को **लरका** बोलते हैं।

## 2. अन्य भाषाओं की ध्वनि प्रकृति –

अहिन्दी भाषाओं की अपनी ध्वनि प्रकृति भी हिन्दी सीखने में बाधक होती है। जैसे – हिन्दी शब्द **रविन्द्र** को पंजाबी **रवीन्द्र** उच्चारित करते हैं और बंगाली **राविन्द्रो** उच्चारित करते हैं।

## 3. भाषा कुल का अन्तर –

आर्यकुल/द्रविण कुल (तेलगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम इत्यादि) भाषा भाषियों को हिन्दी सीखने में अधिक परेशानी होती है। पर संस्कृति उपरोक्त सभी भाषाओं की समान है। बस थोड़ी रूचि जाग्रत करने की बात है फिर समस्याओं का समाधान स्वतः हो जायेगा।

**यथा समस्याओं का समाधान :** सच बात तो यह है कि न हम हिन्दी भाषा की प्रकृति बदल सकते हैं और न अन्य भाषाओं की। उनमें जो अन्तर है और उस अन्तर के कारण द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी सीखने में जो बाधाएँ आती हैं उनका भी एकमात्र समाधान यही है कि हम भारत के अहिन्दी भाषा भाषियों में राष्ट्रभाषा सीखने के प्रति रूचि उत्पन्न करें ऐसी स्थिति में समस्याओं का समाधान स्वतः हो जायेगा।

## 4. द्वितीय भाषा के प्रयो के अवसर संबंधी समस्याएँ –

**शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ या अंग्रेजी** – हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हैं और कृषि, तकनीकी और मेडिकल शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा है। अहिन्दी क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का केवल एक अध्ययन विषय के रूप में स्थान है और वह भी किसी प्रान्त में अनिवार्य रूप से और किसी से ऐच्छिक रूप में। साफ जाहिर है कि इन क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयो केवल कक्षा के अन्दर और वह भी यथा भाषा के घण्टों में होता है और बिना प्रयोग के किसी भी भाषा को सीखा नहीं जा सकता।

**यथा समस्या का समाधान :** हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया है। इसका अर्थ है कि वह पूरे देश में राजकीय कार्यों में प्रयोग होनी चाहिए और विद्यालयों से निकालने के बाद बच्चों को किसी न किसी रूप में इसके प्रयोग की आवश्यकता होगी। तब क्यों न सबका प्रशिक्षण विद्यालयों में दिया जाए। बच्चे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र राष्ट्रभाषा हिन्दी में लिखें। राष्ट्रीय पर्वो-15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के समस्त कार्यक्रमों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रयोग हो। उसी स्थिति में देश के बच्चों को यह अनुभव होगा कि वे उस राष्ट्र के नागरिक हैं जिसका झण्डा तिरंगा है जिसकी भाषा हिन्दी है और जिसकी संस्कृति वैदिक है।

## 5. सिखाने वालों की योग्यता एवं कुशलता संबंधी समस्याएँ :

**द्विभाषीय अध्यापकों का अभाव** – किसी अहिन्दी क्षेत्र में द्वितीय भाषा रूप में हिन्दी का शिक्षण वही अध्यापक कर सकता है जो हिन्दी के साथ-साथ क्षेत्र विशेष की भाषा का स्पष्ट ज्ञान रखता हो। आज देश में ऐसे अध्यापकों का बड़ा अभाव है और यह राष्ट्रभाषा हिन्दी के शिक्षण में बाधक हैं।

**द्वितीय भाषा शिक्षण में प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव** : जो द्विभाषीय व्यक्ति उपलब्ध है उनके लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है और जो प्रशिक्षण विद्यालय इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं वे भी अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। वो भी सीखने का प्रयत्न नहीं करते। परिणामतः देश में ऐसे प्रशिक्षित अध्यापकों का बड़ा अभाव है।

**यथासमस्याओं का समाधान** : आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। पहले केन्द्रीय सरकार देश में राष्ट्रभाषा हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य करे फिर प्रान्तीय सरकारें द्विभाषीय शिक्षकों की मांग निकालें और साथ ही उनके शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। जब देश में ऐसे अध्यापकों की मांग बढ़ेगी तो विश्वास रखें कि मांग से अधिक व्यक्ति उसके लिए अपने आपको तैयार करेंगे। सरकार अपना इरादा तो पक्का करें।

**6. अन्य समस्याएँ**— द्वितीय भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा हिन्दी के शिक्षण संबंधी कुछ अन्य समस्याएँ भी हैं जिनमें मुख्य है –

**(अ) उचित पाठ्यक्रम का अभाव** : 14 सितम्बर 1949 को हमारी केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया और 26 जनवरी 1965 को इसे शासन कार्य में अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की घोषणा की और यह भी संभव था जब राष्ट्रभाषा की शिक्षा अनिवार्य की जाती तो पूरे देश के अहिन्दी छात्रों के लिए उसका समान एवं उचित पाठ्यक्रम बनाया जाता पर अफसोस यह कार्य आज तक नहीं हुआ है।


**(ब) उचित शिक्षण विधियों का अभाव** – हम जानते हैं कि प्रत्येक हिन्दीतेत्तर भाषा के क्षेत्र में हिन्दी के शिक्षण की अपनी समस्याएँ हैं। यूँ हमने द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों और शिक्षण विधियों की चर्चा अवश्य की है परन्तु उनमें क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान पर अभी तक विस्तार से कोई कार्य नहीं हुआ है। हमें हिन्दी की प्रकृति और क्षेत्र विशेष की हिन्दीतेत्तर भाषा की प्रकृति दोनों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशेष में हिन्दी शिक्षण की विधियों का विकास करने की आवश्यकता है।

(3) उचित पाठ्य पुस्तकों का अभाव – उचित एवं निश्चित पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के अभाव में उचित पाठ्य पुस्तकें कैसे तैयार की जा सकती है।

**यथा समस्याओं का समाधान :** किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूर्ण निष्ठा से काम करने वालों की आवश्यकता होती है। उपरोक्त तीनों समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्रीय और प्रान्तीय स्तर पर विशेषज्ञों की समितियाँ बनाई जाएं, शोधकर्ताओं की टोलियाँ तैयार की जाएं और उनके द्वारा यथा कार्य त्वरित गति से किया जाए।

#### सन्दर्भ

1. नीवन भाषविज्ञान, डॉ. तिलक सिंह।
2. भाषाविज्ञान, डॉ. भोलानाथ तिवारी।
3. हिन्दी भाषा, डॉ. भोलानाथ तिवारी।
4. नवीन शोध विज्ञान, डॉ. तिलक सिंह।
5. सोशियोलोजी ऑफ लैंग्वेज, जे.ए. फिशमैन।
6. सोशयोलिविस्टिक्स पैन्टर्स, लेबॉव।



# SHIKSHA SAMVAD



An Online Quarterly Multi-Disciplinary  
Peer-Reviewed or Refereed Research Journal  
ISSN: 2584-0983 (Online) Impact-Factor, RPRI-3.87  
Volume-01, Issue-04, June- 2024  
[www.shikshasamvad.com](http://www.shikshasamvad.com)  
Certificate Number-June-2024/26

## Certificate Of Publication

*This Certificate is proudly presented to*

महिमा एवं डॉ० सोनिया यादव

For publication of research paper title

“हिन्दी के विकास में शिक्षक की भूमिका”

Published in ‘Shiksha Samvad’ Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and  
E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-01, Issue-04, Month June, Year- 2024, Impact-  
Factor, RPRI-3.87.

Dr. Neeraj Yadav  
Editor-In-Chief

PASSION TOWARDS EXCELLENCE

Dr. Lohans Kumar Kalyani  
Executive-chief- Editor

**Note:** This E-Certificate is valid with published paper and the paper  
must be available online at [www.shikshasamvad.com](http://www.shikshasamvad.com)